कार्यालय जिला परिषद, पलामू।

आम–सूचना

कार्यालय जिला परिषद, पलामू द्वारा प्रखण्ड सतबरवा में बाजार शेड में पार्टीशन कर नवनिर्मित कुल 42 दुकानो का आवंटन किया जाना है। उक्त शेड में पूर्व से छोटे–मोटे दुकान चला कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले लोगों को आवंटन में उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । बाजार शेड में नवनिर्मित दुकानो के आवंटन हेतु पलामू जिले के प्रमुख एंव लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से आम सूचना प्रकाशित कर इच्छुक व्यक्तियो से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है जो निम्न प्रकार है –

1. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	–	25.07.2020 से 01.08.2020
2. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान	–	कार्यालय जिला परिषद, पलामू।
3. दुकान का मासिक किराया दर	–	500/– रूपये प्रति दुकान

दुकान के आवंटन में निम्नलिखित शर्ते निर्धारित है:–

1. दुकान के आवंटन में पूर्व से छोटे–मोटे दुकान चला कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले विस्थापित लोगों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी जिसे सभी आवेदको को स्वीकार करना होगा।
2. आवंटन के पश्चात दुकान आवंटियो की सूची जारी की जायेगी जिसके एक पक्ष (15 दिन) के अन्दर अग्रिम जमानत की राशि मो0 10000.00 (दस हजार) रूपये बैंक ड्राफ्ट जो **सचिव जिला परिषद, पलामू के पदनाम से भुगतेय हो**, जमा करना होगा। अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
3. आवंटित दुकान के लाभुको को एकरारनामा के शर्तो के स्वीकार्यता हेतु जिला निबंधन कार्यालय पलामू के द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा कराना होगा।
4. दुकान के आवंटन का एकरारनामा जिला निबंधन कार्यालय, पलामू के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। इस हेतु आवंटी को निर्धारित निबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा।
5. आवंटित लाभुको को जिस भूमि पर दुकान/भवन उपलब्ध कराया जायेगा उस पर आवंटियो को कोई स्वत्व (टाईटल) का अधिकार प्राप्त नही होगा। सर्वदा के लिए वह भूमि एंव दुकान जिला परिषद पलामू की रहेगी।
6. अन्तिम रूप से चयनित आवंटियो को जमानत की राशि किसी भी अन्य कारणों से वापस नही की जायेगी।
7. आवंटियों/लाभुको के बीच आवंटन संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में विवादित मामले का समाधान जिला परिषद के द्वारा किया जायेगा।
8. आवेदको का यह उत्तरदायित्व होगा कि आवेदन पत्र जमा करने संबंधित विस्तृत सूचना जिला परिषद के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।
9. आवेदको से दुकानो के आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन दिनांक 01.08.2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक जिला परिषद कार्यालय में जमा की जा सकेगी। इसके उपरान्त किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार्य नही होगा।

10. आवेदको को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखिंत दस्तावेजो की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा :–

क. मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति ।

ख. आधार कार्ड की छायाप्रति ।

ग. चरित्र प्रमाण पत्र (प्रखण्ड स्तरीय) की छायाप्रति ।

घ. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

ड. 2 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

12. दुकान आवंटन से संबंधित विधिक मामले का निपटारा व्यवहार न्यायालय, पलामू में किया जायेगा।

13. इस आम सूचना में संशोधन/निरस्तीकरण का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

ह0/–

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।

ज्ञापांक–412 जि0प0/दिनांक 22/7/2020,

प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एंव जनसर्म्पक विभाग,झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना को 2 स्थानीय लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एंव जन सर्म्पक पदाधिकारी, को सूचनार्थ एंव पलामू जिले के 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एंव NIC पलामू के Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतबरवा को सूचनार्थ एंव प्रखण्ड कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.7.20

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।